न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज जरसे .... बनाम .... जतीराम मु. सं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दिनांक 31–08–2018

आज पत्रावली पेश हुई। वादीगण व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इसके अलावा वादीगण को साक्ष्य के लिये 6 अवसर दिये जा चुके हैं किन्तु साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इससे ऐंसा प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है,तथा वाद को चलाना नहीं चाहते है। इसके अलावा वादीगण द्वारा वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य सामने आता है कि प्रतिवादी जतीराम द्वारा वादग्रस्त आराजीयात में से अपना हिस्सा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 20–01–2016 द्वारा ओमप्रकाश पुत्र श्योदान को विकय कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नही रहा है तथा वादीगण द्वारा केता को पक्षकार नहीं बनाया है ऐसी स्थिति में वाद चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः वादीगण का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)